बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

संख्या : वन/पर्या–15/2012 634(ई) प०व०, पटना–15, दिनांक 26/11/2012

पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा हरियाली मिशन अन्तर्गत **"कृषि वानिकी"** योजना की स्वीकृति संकल्प संख्या वन/पर्या० 15/2012–573(ई) प०व० दिनांक 08.10.2012 के द्वारा दी गई है। इस संकल्प की कंडिका 5 (क) में निजी जमीन पर पौधारोपण हेतु किसानों/अन्य व्यक्तियों के चयन के लिए समिति का प्रावधान किया गया है। चूकि जिला वन प्रसार पदाधिकारी एवं प्रखंड वन प्रसार पदाधिकारियों का अभी चयन नहीं हुआ है, इसलिए वर्ष 2012–13 के लिये निर्दिष्ट जिलों हेतु किसानों/अन्य व्यक्तियों के चयन हेतु केवल जिला स्तर पर निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :–

(1)	वन प्रमंडल पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
(2)	जिला कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य
(3)	जिला वागवानी पदाधिकारी	–	सदस्य

2. बैठक के लिए न्यूनतम दो पदाधिकारियों का कोरम होगा।

3. जिला स्तरीय समिति से संबंधित अभिलेखों का संधारण अगले आदेश तक वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जायेगा। इस योजना में शामिल होने के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त आवेदनों को एक अलग पंजी में उनकी प्राप्ति के क्रम में प्राथमिकता के आधार पर अंकित करते हुए संधारित किया जायेगा। साथ ही साथ प्राप्त आवेदनों पर भी पंजीकृत क्रमांक तिथि सहित अंकित किया जायेगा।

4. समिति के लक्ष्य के अधीन, मिशन/विभाग द्वारा निर्गत मार्गनिर्देश के आलोक में कृषि वानिकी योजना में शामिल होने वाले उपयुक्त किसानों एवं अन्य व्यक्तियों का उनके आवेदन के आधार पर चयन किया जायेगा।

5. वर्ष 2012–13 के लिये **पटना, आरा, बक्सर, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज** (कुल 11 जिलों) में योजना प्रारंभ की जानी है। आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रमुख अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है जिसमें आवेदन देने की अंतिम तिथि 7 दिसम्बर 2012 है। प्रकाशित विज्ञापन की एक प्रति अनुलग्नक– 1 में संलग्न है।

6. वन प्रमडल पदाधिकारी प्रकाशित विज्ञापन की प्राथमिकता क्रमांक क से ड. तक के लिए प्राप्त आवेदनों की अलग–अलग सूची अनुलग्नक 2 में संलग्न प्रपत्र में बनायेंगे

एवं दिनांक 15 दिसम्बर तक इसकी सूचना अनुलग्नक 3 में अंकित प्रपत्र में नोडल पदाधिकारी हरियाली मिशन को भेजते हुए प्रति संबंधित वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को देंगे।

7. तत्पश्चात विभाग द्वारा संसूचित लक्ष्य के अनुसार इस सूची में से किसानों का चयन उपरोक्त कंडिका (1) में गठित समिति के द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर तक पूरा किया जायेगा।

8. चयनित किसानों/लाभान्वितों के नाम दिनांक 30 दिसम्बर तक प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल पदाधिकारी हरियाली मिशन को प्राप्त हो जाना चाहिये।

9. अगले वर्षों के लिये अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

10. इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिये समय समय पर अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे।

11. समिति गठन की यह अधिसूचना वर्ष 2012–13 तक प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
दीपक कुमार सिंह
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : वन/पर्या–15/2012 634(ई) **प०व०, पटना–15, दिनांक** 26/11/2012

प्रतिलिपि : अधीक्षक, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–
दीपक कुमार सिंह
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : वन/पर्या–15/2012 634(ई) **प०व०, पटना–15, दिनांक** 26/11/2012

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव कृषि विभाग/निदेशक कृषि विभाग/निदेशक बागवानी कृषि विभाग/संबंधित जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित जिलों के जिला बागवानी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
दीपक कुमार सिंह
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : वन/पर्या–15/2012 634(ई) **प०व०, पटना–15, दिनांक** 26/11/2012

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार/मुख्य वन संरक्षक कार्य नियोजना, प्रशिक्षण एवं विस्तार–सह–नोडल पदाधिकारी, हरियाली मिशन/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/11/12

दीपक कुमार सिंह
सरकार के सचिव।

Scankaln 16-11-2012

पेज-(2)

दि. 16/11/2012 बिहार सरकार हिन्दुस्तान

पर्यावरण एवं वन विभाग

कृषि वानिकी योजना में शामिल होने का अवसर-
किसान भाइयों के लिए खुशखबरी

खेती के साथ पेड़ लगायें हरियाली बढ़ायें आमदनी बढ़ायें परिवार में खुशहाली लायें-

आवेदन देने की अंतिम तिथि– 7 दिसंबर 2012

योजना का लाभ कौन उठा सकते हैं :–

- प्रथम चरण में पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पटना, भोजपुर एवं बक्सर जिले के कोई भी किसान बन्धु।
- अगले वर्ष से अन्य जिलों में भी योजना प्रारंभ होगी।

योजना में दिये जाने वाले लाभ :–

- चयनित किसानों को उनकी पसंद के अनुसार (यथासंभव) पौधा वन विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
- वृक्षारोपण एवं पौधों के देखभाल की तकनीकी जानकारी दी जायेगी।
- पौधों की सही देखभाल करने एवं सुरक्षित रखने पर प्रथम वर्ष के अंत में 15 रू०, द्वितीय वर्ष के अंत में 10 रू० एवं तृतीय वर्ष के अंत में 10 रू० प्रोत्साहन के तौर पर दिया जायेगा।
- पौधों पर संपूर्ण अधिकार किसान बंधुओं का होगा।
- उत्तर बिहार के चयनित जिलों में पौधे जनवरी माह में उपलब्ध कराये जायेंगे एवं जनवरी–फरवरी 2013 में वृक्षारोपण करना होगा। दक्षिणी बिहार के पटना, आरा एवं बक्सर जिलों में वृक्षारोपण 2013 के वर्षाकाल में होगा एवं पौधे जून–जुलाई 2013 में उपलब्ध कराये जायेंगे परंतु इन जिलों में किसान यदि जनवरी–फरवरी 2013 में पौधे लगाने के इच्छुक हों तो उन्हें पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे।
- वृक्षारोपण पूरे खेत में 2 x 2 मीटर की दूरी पर या 3 x 3 मीटर की दूरी पर अन्य फसलों के साथ या केवल मेड़ पर लगाये जा सकते है।

चयन की प्रक्रिया एवं प्राथमिकता :–

- इच्छुक किसानों को विहित प्रपत्र में स्थानीय वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना होगा।
- चयन के लिए प्राथमिकता निम्न प्रकार होगी।
  (क) जो 2 हे० या अधिक जमीन (एक साथ) पर वृक्षारोपण करने के इच्छुक हो।
  (ख) एक से अधिक किसान, एक ही स्थान पर सब मिलाकर 2 हे० या अधिक जमीन पर वृक्षारोपण करने के इच्छुक हो।
  (ग) खेतों पर पूर्व से लगाये गये वृक्षों के साथ मिलाकर भी रकबा 2 हे० होने पर प्राथमिकता दी जायेगी।
  (घ) विभाग द्वारा पूर्व से लगाये गये वृक्षारोपण के बगल की जमीन पर वृक्षारोपण करने के इच्छुक किसान।
  (ड़) पॉपुलर का पौधा पूर्णरूपेण या आंशिक (60 प्रतिशत या अधिक) लगाने के इच्छुक किसानों को प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदन संबंधित प्रपत्र वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किये जायेंगे। आवेदन दिनांक 07 दिसम्बर 2012 तक प्राप्त हो जाना चाहिए।
  (च) चयन वन प्रमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी।

विस्तृत जानकारी वनप्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय से या विभाग की वेबसाइट www.forest.bih.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। ईमेल से जानकारी प्राप्त करने के लिए ccfwp.bih@hotmail.com पर मेल करें। (मो० नं० 9473199600)

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
कृषि वानिकी योजना में शामिल होने के लिए आवेदन प्रपत्र

(क) वन प्रमंडल का नाम–
(ख) जिला का नाम–
(ग) वन प्रक्षेत्र (Range) का नाम
(घ) प्रखंड का नाम–
1. आवेदक का नामः–
2. पिता / पति का नामः–
3. पेशाः–
4. जन्म तिथिः–
5. स्थाई पताः–
6. वर्तमान / पत्राचार का पताः–
   (दूरभाष / मोबाइल न० अंकित करें)
7. ई–मेल (यदि हो)
8. जमीन की विवरणी

क्रम सं.	खाता न०	खेसरा न०	रकबा (एकड़ में)	रशीद संख्या / वर्ष

9. समूह में आवेदन करने पर जमीन की विवरणी (जगह कम पड़ने पर अलग पृष्ठ में विवरणी संलग्न करें।)

क्रम सं०	नाम	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा (एकड़ में)	रशीद संख्या / वर्ष

10. अगर आप प्राथमिकता क्रम (ग) (घ) या (ड़) के तहत दावा रखते हों तो इसकी विवरणी अंकित करें।

11. प्रस्तावित वृक्षारोपण (कृपया ✓ करें)
   (क) फार्म वानिकी (पूरी जमीन पर):– ☐
   (ख) कृषि वानिकी (कृषि फसलों के साथ या मेड़ पर) ☐

12. इच्छित प्रजाति का नाम लिखें:–

क्रमांक	नाम	संख्या

11. घोषणा :–
मैं स्वेच्छा से अपनी जमीन पर वृक्षारोपण करना चाहता हूँ तथा रोपित पौधों की सुरक्षा एवं संपोषण की जिम्मेदारी लेता हूँ। वृक्षों के परिपक्व होने अथवा आँधी–तुफान में गिरने / सूखने की स्थिति में ही इस पौधों की कटाई आवश्यकतानुसार करूंगा।

(हस्ताक्षर)
पुरा नाम
(यदि समूह में आवेदन है तो सभी किसान बंधु हस्ताक्ष करे एवं नाम लिखे)

पी.आर.-9998 (वन) 12-13

पर्यावरण रक्षा, सबकी सुरक्षा

अनुलग्नक–2

वर्ष 2012–13 में कृषि वानिकी के लिये प्राप्त आवेदन :

प्रमंडल : जिला :

प्रपत्र I

व्यक्ति किसानों/आवेदकों से प्राप्त आवेदन

क्र०	किसान का नाम	कृषि वानिकी के लिये आवेदित रकवा	फार्म वानिकी/कृषि वानिकी (F या A लिखें)	अगर प्राथमिकता क्रमांक ग, घ या ङ के तहत दावा किया हो तो अंकित करें।

प्रपत्र II

समूह में इच्छुक आवेदकों से प्राप्त आवेदन

क्र०	समूह के किसी एक किसान का नाम	समूह के कुल किसानों की संख्या	कृषि वानिकी के लिये आवेदित रकवा	फार्म वानिकी/कृषि वानिकी (F या A लिखें)

अनुलग्नक–3

वर्ष 2012–13 में कृषि वानिकी के लिये प्राप्त आवेदन :

प्रमंडल : जिला :

क्र०सं०	विवरणी	आवेदनों की कुल संख्या	कुल रकवा (हे०) में
1.	व्यक्तिगत किसानों से प्राप्त आवेदन जिनमें आवेदित रकवा 2 हे० या उससे ज्यादा है।		
2.	समूह में प्राप्त आवेदन जिनमें आवेदित रकवा 2 हे० या उससे ज्यादा है।		
3.	व्यक्तिगत किसानों से प्राप्त आवेदन जिनमें आवेदित रकवा 2 हे० से कम है।		
4.	उपरोक्त कंडिका–3 में से जिन आवेदनों में ग या घ के तहत प्राथमिकता का दावा किया गया हो।		
5.	ऐसे आवेदन जिसमें रकवा 2 हे० से कम है परंतु कंडिका ङ के तहत प्राथमिकता का दावा किया गया हो अर्थात् पॉपलर का पौधा पूर्ण रूपेण या आंशिक (60% से अधिक) लगाने हेतु आवेदन दिया गया है।		